

## जनपद बाराबंकी

प्रेस नोट संख्या-49

दिनांक- 24.09.2020

स्वाट टीम बाराबंकी द्वारा 02 गांजा तस्करों को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से 31.5 कि०ग्रा० अवैध गांजा बरामद -

स्वाट टीम बाराबंकी द्वारा अवैध गांजा की तस्करी करने वाले 02 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार कर 31.5 कि०ग्रा० अवैध गांजा बरामद करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई ।

### नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगण-

1. अमित कुमार रावत उर्फ लक्की पुत्र स्व० प्रेमचन्द्र निवासी म०नं०-एस/476 सत्यप्रेमी नगर थाना कोतवाली नगर जनपद बाराबंकी।
2. मनीष मिश्रा पुत्र जितेन्द्र मिश्रा निवासी म०नं०-08 हिन्द सिटी देवा रोड मटियारी थाना चिनहट जनपद लखनऊ।

### बरामदगी:-

- 1- 31.5 किलोग्राम नाजायज गांजा
- 2- 4050/-रूपये नकद
- 3- 02 अदद एन्ड्रायड मोबाइल फोन (ग्राहक से बातचीत कर बेचने में प्रयुक्त)
- 4- वैगनार कार नम्बर-यूपी 32 एलएच 7015 (नाजायज गांजा बेचने एवं खरीदने में प्रयुक्त)
- 5- वैगनार कार नम्बर-यूपी 32 केएस 9685 (नाजायज गांजा बेचने एवं खरीदने में प्रयुक्त)

जनपद बाराबंकी के कुछ क्षेत्र मादक पदार्थों की तस्करी के लिए कुख्यात हैं, जिस पर अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करने एवं अन्य अवैध कार्यों में लिप्त आपराधिक कृत्य करने वालों के विरुद्ध पुलिस अधीक्षक, बाराबंकी डॉ० अरविन्द चतुर्वेदी द्वारा अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी/दक्षिणी के कुशल निर्देशन में थाना पुलिस टीम के साथ-साथ स्वाट टीम को भी विशेष सतर्कता के साथ गिरफ्तारी/बरामदगी हेतु लगाया गया। इसी क्रम में स्वाट टीम बाराबंकी द्वारा जनपद में अवैध मादक पदार्थों को खरीदने एवं परिवहन करने वालों पर विशेष निगाहबानी रखी जा रही थी।

इसी क्रम में दिनांक 23.09.2020 को प्रभारी स्वाट टीम श्री विवेक कुमार सिंह के नेतृत्व में स्वाट टीम बाराबंकी को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई। अभिसूचना को विकसित करते हुए स्वाट टीम द्वारा अवैध गांजा की तस्करी करने वाले 02 शातिर अभियुक्तों 1. अमित कुमार रावत उर्फ लक्की पुत्र स्व० प्रेमचन्द्र निवासी म०नं०-एस/476 सत्यप्रेमी नगर थाना कोतवाली नगर जनपद बाराबंकी, 2. मनीष मिश्रा पुत्र जितेन्द्र मिश्रा निवासी म०नं०-08 हिन्द सिटी देवा रोड मटियारी थाना चिनहट जनपद लखनऊ को मामा नहर पुलिया थाना देवा क्षेत्रान्तर्गत से समय 23.55 बजे गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण द्वारा वैगनार कार नम्बर-यूपी 32 एलएच 7015 से 26 कि०ग्रा० व वैगनार कार नम्बर-यूपी 32 केएस 9685 से 5.5 कि०ग्रा० व 4050 रूपये नकद एवं 02 अदद एन्ड्रायड मोबाइल फोन बरामद किया गया। अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना देवा पर मु०अ०स०-371-372/2020 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया।

अभियुक्तगण से पूछताछ करने पर प्रकाश में आया कि अमित रावत गांजा तस्करी करने का कार्य करता है और वह लखनऊ विश्वविद्यालय से बी.ए. पास है। उसके द्वारा बताया गया कि यह कार्य अपने महंगे शौको को पूरा करने के लिए करता है। मनीष मिश्रा अवैध गांजा अमित रावत की योजनानुसार केसरगंज जनपद बहराइच के एक व्यक्ति से लगभग 5500/-रूपये प्रति कि०ग्रा० खरीदकर लाता है। लखनऊ निवासी मनीष मिश्रा ड्राइवर है और मादक पदार्थों को बेचने व खरीदने के लिए कैरियर का कार्य करता है। अभियुक्तगण द्वारा जनपद बहराइच से लाए अवैध मादक पदार्थ गांजा को छोटे-छोटे पैकटों 250 ग्राम, 500 ग्राम व 01 कि०ग्रा० में पैक कर जनपद लखनऊ एवं बाराबंकी के विभिन्न भांग के ठेकों पर बेचते हैं। इनके द्वारा लगभग 7500/-रूपये प्रति कि०ग्रा० के हिसाब से बेचा जाता है, अगर इस तरह से इनके द्वारा 30 कि०ग्रा० अवैध मादक पदार्थ गांजा को बेचा जाता है तो लगभग  $30 \times 2500 = 75,000/-$  रूपये का मुनाफा होता है।

**पुलिस टीम:-**

1. प्रभारी श्री विवेक कुमार सिंह स्वाट टीम जनपद बाराबंकी
2. हे०का० इदरीश खां, हे०का० राजेन्द्र यादव स्वाट टीम जनपद बाराबंकी
3. का० प्रवीण शुक्ला, का० आदिल हासमी स्वाट टीम जनपद बाराबंकी
4. का० अंकुश शंखवार स्वाट टीम जनपद बाराबंकी
5. का० मनोज कुमार व हो०गा० संजय थाना देवा जनपद बाराबंकी